Detail Address and release to the NGOs under the scheme of Grant-in-aid to Voluntary Organisations working for Scheduled Castes

S. No.	Name of States/UTs	Name of NGOs	Project District		2014-15	
					Amount released	No. of beneficiaries
1	2	3	7	8		
1	ANDHRA PRADESH	Andhra Pradesh Girijan Sevak Sangh, Chandamamapet, Nandigama-521185, Krishna Distt. Andhra Pradesh	Krishna	Residential Primary School	0	0
2	ANDHRA PRADESH	Arunodaya Scheduled Caste Welfare Residential Public School Association, Tharlupadu Road, Markapur-523316, Distt. Prakasam, Andhra Pradesh	Prakasam	Residential Primary School	0	0
3	ANDHRA PRADESH	Goutham Education Society, H.No.9-1, Dr. B.R. Ambedkar Nagar, Cherial-506223, Distt. Warangal, Andhra Pradesh	Warangal	Residential Primary School	1267380	100
4	ANDHRA PRADESH	Lok Seva Kendram, H.No.11-18-848, Mogilicharla Road, Kashibugga, Warangal-506002, Andhra Pradesh		Hostel (Primary)	846900	100
5	ANDHRA PRADESH	Social Action For Social Development, 131/B, Suryanilaya Apartments, Sanjeeva Reddy Nagar, Hyderabad-500038, Distt. Mahaboobnagar-509002, Andhra Pradesh		Residential Primary School	27913	100
6	ANDHRA PRADESH	Lakshmi Mahila Mandali, 28-714, Boys Street, Sangmesh Nagar, Anantpur-515001	Anantapur		463500	0
7	ASSAM	Dr. Ambedkar Mission, Village Dhopatari Post Changsari, Distt. Kamrup, Assam		Mobile Dispensary	325890	0
8	ASSAM	Dr. Ambedkar Mission, Village Dhopatari Post Changsari, Distt. Kamrup, Assam	Kamrup	Non-Residential Primary School	1593270	200
9	ASSAM	Global Health And Education Centre, Rupahi, Bhakatgaon (Near Chanderbala Primary School) Po. Rupahi, Distt. Nagaon, Assam-782125	Nagaon	Non-Residential Primary School	749025	200
10	ASSAM	Gram Vikas Parisad, Rangaloo, Po: Jamarmur, Distt. Nagaon-782427, Assam	Nagaon	Non-Residential Primary School	995825	200
11	ASSAM	National Youth Welfare Mission School, 'Pioneer", C.D. Road, P.O. Moidomia, Distt. Lakhimpur, Assam-787032	Distt. Lakhimpur	Residential Primary School	981180	100
12	ASSAM	Pathari Vocational Institute, Near Court Campus, P.O. Nagaon, Distt. Nagaon, Assam	Naogaon	Radio, TV & VCR repairing Training Centre	208285	70
13	ASSAM	Rupahi Kohinoor Club, Rupahi Tinaili, PO Rupahi, Distt. Nagaon, Assam	Nagaon	Scooter/Motorcycle/Autorickshaw repair Training Centre	445770	100

49	KARNATAKA	Divyajyothi Vidya Kendra, Vishwa Building, Chikkanna Layout, Sondekoppa Circle, Nelamagala-562123, Bangalore Rural Distt. Karnataka	Bangalore Rural	Craft Centre	286265	50
50	KARNATAKA	Dr. Baba Saheb Ambedkar Vidya Vardhak Sangha, Shorapur, Distt. Gulbarga, Karnataka	Gulbarga	Residential Primary School	785250	100
51	KARNATAKA	Dr. Sri Jachani Rastriya Sevapeeta, No. 49/1, H.B. Samaja Road, Basavanagudi, Bangalore-560004, Karnataka	Chikkballapur	Residential Secondary School	457760	100
52	KARNATAKA	Jana Kalyana Trust, # 402, 1st Main, II nd Block, 1st Stage, H.B.R. Layout, Bangalore-560043, Karnataka	Mysore	Residential Primary School	3017250	200
53	KARNATAKA	Jnana Jyothi Jai Bheem Education Society, No. 44, 5th Cross, Hosahalli, Vijayanagar, Bangalore-560040, Karnataka	Ramnagar	Residential Primary School	1873395	100
54	KARNATAKA	Jnanesh Education Society, Kanankpur Road,Malavalli, Distt. Mandya, Karnataka	Mandya	Residential Primary School	840150	100
55	KARNATAKA	Jnanesh Education Society, Kanankpur Road,Malavalli, Distt. Mandya, Karnataka		Electrician Training Centre	100800	30
56	KARNATAKA	Priyadarshini Seva Kendra Turst, Halasur Village, Sathnur Hobli, kadahalli Post, Kanakpura Tq., Bangalore South Rural District, Karnataka	Bangalore South Rural	Residential Primary School	960480	100
57	KARNATAKA	Saraswati Mahila Mandal, Mateshwar Nagar Near Amar Theatre Bhalki-585328, Distt. Bidar, Karnataka	Bidar	Craft Centre	257400	50
58	KARNATAKA	Shri Ambika Education Trust, Ramapura, Hulibele Post, Bangarapet-563114, Distt. Kolar, Karnataka	Bangara[pet, Distt.Kolar	Residential Primary School	81765	0
59	KARNATAKA	Shri Durgadevi Banjara Seva Sangh, Somdevar Hatti Tanda No.1, Tq. Distt. Bijapur-586114, Karnataka	Bijapur	Residential Primary School	2516570	150
60	KARNATAKA	Sri Hoysala Vidya Samsthe, Nerlige Post, Davangere Tq, Davangere Distt. Karnataka	Davangere	Residential Primary School	698647	175
61	KARNATAKA	Sri Sant Sevalal Rural Health Care Society, 1996/1, Venkateshwara Nilaya, MCC, A-Block, Distt. Davangere, Karnataka	Davangere	10-bedded Hospital	937330	0
62	KARNATAKA	Sri Tunga Bhadra Vidya Samste, No. 1059, 1st Floor, 7th Main Road, Vijayanagar, Bangalore-560040,Karnataka	Chickmagalore	Residential Primary School	1501710	200
63	KARNATAKA	Sri Vivek Education Society, Chokkahalli Cross Nayanahalli, Chintamani Tq. Distt. Chickballapur, Karnataka	Chickballapur	Residential Primary School	1010700	200
64	KARNATAKA	Swabhimaan Educaiton Society (old name - Sree Ramakrishna Education Society), Vedavathinagara, K.H.B. Colony, Hiriyur-572144, Distt. Chitradurga, Karnataka	Chitradurga	Residential Secondary School	355545	0
65	KARNATAKA	Swabhimaan Educaiton Society (old name, Vedavathinagara, K.H.B. Colony, Hiriyur-572144, Distt. Chitradurga, Karnataka	Chittradurga	Library	72000	0

नकल फोलियो

नकल सवाल डालने की तारीख	नकल तैयार होने की तारीख	नकल जारी होने की तारीख	नकल जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
	28.10-98	28.10-98	28/10/98

दिनांक 17/10/98

प्रतिलिपिक

COURT FEE भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

COURT FEE भारत INDIA १ रुपया ५० पैसे 1 RUPEE 50 PAISE

21 2604/2e-2213

U.P. Government by (Reg
Established Year - 1989-
Reg. No. - 14
Work Area - U.P. & IND

BHARTIYA GRAMIN SHETRA GRAMODHYOG VIKASH SAMITI

LOYABADSHAPUR, POST - KHAS, DISTT- ETAH, BY CONTUCTED

HEAD - OFFICE

U.P. Schedule Cast Vikas Organization
Jai Naryan Verma Road, Fatehgarh - Farrukhabad, (U.P.)

... VERMA

Ref. No. 145   Dated 14/10/13

सेवा में

प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग
उ0प्र0 शासन लखनऊ

(बी0 बी0 सिंह) विशेष सचिव, समाज कल्याण उ0 प्र0 शासन

विषयः— भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जयनरायन वर्मा रोड़ फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के सम्बध में ।

महोदयः— कृपया उपर्युक्त विषय के प्रति आपको अवगत कराना है। कि उक्त समिति का प्रस्तावित प्रस्ताव दिनांक 31 दिसम्बर 2004 में निरिक्षण अरव्या के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा संस्तुति कर कार्यवाही की गयी तथा निदेशक समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 लखनऊ में पत्रावली प्रेषित कराई गई। निदेशक समाज कल्याण के पत्र सं. 2.08 दिनांक 21 मार्च 2005 के माध्यम से शासन को प्राप्त जाच अरव्या की एक प्रति पुनः सलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी।

श्री उमाशकंर सिंह अनुसचिव उ0प्र0 शासन समाज कल्याण अनुभाग—2 लखनऊ के पत्र सं. 60 एम/26.02.2007 —1/38/98 दिनांक 28 जून 2007 में कार्यवाही कर अवर सचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली में पत्रावली को सी. आर डायरी नं. 4143 दिनांक 02/07/2007 में अग्रेतर कार्यवाही प्रेषित की गयी ।

श्री एल मरांडी अनुसचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली के पत्र सं. 11020/55/2008 एस.सी.डी तृतीय दिनांक 23 जून 2008 को प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन समाज कल्याण विभाग लखनऊ के नाम अवगत कराया गया उक्त समिति को कार्यवाही हेतु।

श्री अनीता चटर्जी विशेष सचिव उ0प्र0 शासन समाज कल्याण अनुभाग—2 लखनऊ के पत्र सं. 3320/26.02.08—100 (37) 2000 टी0सी—1 दिनांक 26 दिसम्बर 2008 में प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता मे गठित ग्रांट इन कमेटी की बैठक 18.12.2008 में समिति की सस्तुति के आधार पर मन्त्रालय के पत्र सं. 11020/55/2008 एस.सी.डी.तृतीय के तहत अग्रेत कार्यवाही हेतु— संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली को प्रस्तावो को प्रेषित कराया गया।

श्रीभावनाथ विशेष सचिव उ0प्र0 शासन समाज कल्याण अनुभाग—2 लखनऊ के पत्र सं. 1474/26. 02.2010 दिनांक 26 मई 2010 में संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली को आपके द्वारा उक्त समिति के प्रकरण मे अवगत कराया गया।

1630/PSSO/13
सा/749
21-10-13
8710/SSW/13
VS (B)
(भरत प्रसाद)
निजी सचिव
समाज कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

अध्यक्ष

श्री कमलकिशोर श्रीवास्त उप सचिव उ0प्र0 शासन समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ की पत्र सं. 956/26.02.2011 दिनांक 27 अप्रैल 2011 में अनुसचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली को आपके द्वारा उक्त समिति के प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया।

श्री एम.ए.मुरली धरन डिप्टी सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली के पत्र सं. 11020/55/2008 एस.सी.डी तृतीय दिनांक 8 अगस्त 2013 में प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन समाज कल्याण विभाग लखनऊ के नाम अवगत कराया गया उक्त समिति के अध्यक्ष को भी अवगत कराया गया है।

श्रीमान जी समिति के विधान के अन्तर्गत दर्शाया कि दिनांक 06.01.2010 तक ही मान्य है। जब कि समिति का विधान दिनांक 06.01.2010 से 06.01.2015 की अवधि तक मान्य है। समय आने पर नवीकरण करा लिया जायेगा श्रीकमल किशोर श्रीवास्तव उप सचिव उ0प्र0 शासन समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ की पत्र सं. 956/26.02.2011 दिनांक 27 अप्रैल 2011 के पत्र तथा समिति के विधान संलग्न को अपने संज्ञान में लाते हुये वित्त पोषित हेतु कार्यवाही करे। मेरी पत्रावली पर मन्त्रायल की बैठक दिनांक 26.27/9/013 में विचार कर लिया गया है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना कर रहा हूँ। समिति का प्रस्ताव तथा जाच अरव्या वर्ष (2004–2005) में भेजी गई थी इस मे अभी तक कोई बदला नही है। इसे 2013–2014 की मान ली जाय इसी जाच अरव्या आधार पर समिति वर्ष (2013–2014) में वित्त पोषित सहायता संलग्न प्रस्ताव के अन्तर्गत कार्यावाही की जाय। उक्त मन्त्रालय को प्रेषित कराई जाय। आपकी महान कृपा होगी।

संलग्नः–
140 - प्रतियाँ

भवदीय

आर.बी.वर्मा
अध्यक्ष(समिति)

अध्यक्ष

(2)

न्यायालय मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद

उपस्थित- रमेश चन्द्र तिवारी

फौ० प्रकीर्ण वाद संख्या 418/11/96

राज्य बनाम परमानन्द तिवारी (वादी)

15.10.1998

अपराध संख्या- 67/92 धारा 420, 468, 120बी भा० दं०सं० थाना को० फतेहगढ़ में अभियोगी परमानन्द तिवारी एस.डी.एम फर्रूखाबाद की इत्तला पर अभियुक्त रामबाबू वर्मा एवं 12 अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसमें विवेचना कर्ता ने दिनांक 13.9.96 को सी०वी०-554/92 अ०सं० 67/92 धारा 420, 468, 120बी भा०दं०सं० थाना को०फतेहगढ़ में द०प्र०सं० की धारा 169 के अन्तर्गत इस कथन के साथ एफ०आर० प्रेषित की गयी कि अभियोगी परमानन्द तिवारी एस.डी.एम. ने दिनांक 19.9.92 को कि मुल्जिमान उपरोक्त सरकार बनाम रामबाबू वर्मा अध्यक्ष भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग समिति एवं इस समिति के 12 अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 19.2.92 से 2.5.92 तक की गयी तदुपरान्त इस प्रकरण की जांच सी.बी.सी.आई.डी. कानपुर द्वारा की गयी तथा जांच में आरोपित अपराध धारा 467, 468, 420, 120बी भा०दं० सं० के सम्बन्ध में आरोप प्रमाणीकरण हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं नहीं हो सका अतः साक्ष्य के अभाव एवं आरोप प्रमाणित न होने के कारण अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी।

यह एफ०आर० मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी के समक्ष दिनांक 27.9.96 को प्रस्तुत की गयी जिस पर मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी

के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उन्होंने यह आदेश पारित किया कि आज एफ0आर0 मय अन्य पुलिस प्रपत्र के साथ प्राप्त हुयी। प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रकीर्ण वाद पंजीकृत हो। वादी को नोटिस दिनांक 16.11.96 के लिए जारी किया जाय।

दिनांक 16.11.96 को अभियोगी उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 18.11.96 को 28वीं प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी सीतापुर की तरफ से प्राप्त हुआ कि तहसील महमूदाबाद में महामहिम राज्यपाल का कार्यक्रम नियत होने के कारण उक्त तिथि पर श्री परमानन्द तिवारी का आना सम्भव नहीं है कोई अन्य तिथि सूचित की जाये। दिनांक 18.12.96 को परमानन्द तिवारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु कोई आपत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया। उसके बाद पुनः अभियोगी दिनांक 17.2.97, 25.2.97, 6.3.97, 12.3.97, 19.4.97, 30.4.97, 6.5.97, 20.5.97, 27.5.97, को तिथियां प्रदान की गयी। दिनांक 3.6.97 को मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय के समक्ष रामबाबू की तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय ने यह आदेश पारित किया कि एफ0आर0 पर सुनवाई के दौरान पत्रावली के अवलोकन से पता चलता है कि सी0ओ0सी0बी0आई0ओ0डी0 ने दौरान विवेचना कुछ रजिस्टर कब्जे में लिए है उनका केस डायरी में जिक्र है परन्तु वह रजिस्टर पत्रावली पर दाखिल नहीं है। एफ0आर0 पर विचार करने के लिए इन रजिस्टरों का दाखिल होना आवश्यक है अतः सी0 बी0सी0आई0डी0 को नोटिस जारी किया जाय कि वह कब्जे लिये गये रजिस्टर दिनांक 27.6.97 को न्यायालय में प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष

जारी की गयी। दिनांक 27.6.97, 25.7.97, 10.9.97 एवं 22.10.97 कीतिथियां प्रदान की गयी। दिनांक ~~7-11-97~~ 7.11.97 को अपराध शाखा खण्ड कानपुर का पत्र प्राप्त हुआ जिसके बाद पुनः अभियोगी को 11.12.97, 21.1.98, 17.4.98, 16.7.98, 19.9.98, 26.9.98, 8.10.98 एवं 13.10.98 को तिथियां प्रदान की गयी परन्तु अभियोगी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली पर पारित आदेश दिनांक 18.11.96 एवं 18.12.96 से यह स्पष्ट है कि अभियोगी को वर्तमान प्रकरण की जानकारी है जो एक उत्तरदायी कर्मचारी है, परन्तु उपस्थित नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभियोगी को कई तिथियां प्रदान की गयी परन्तु अभियोगी उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में मैं यह उपकल्पना करने हेतु विवश हो जाता हूं कि अभियोगी को इस एफ0आर0 के विरोध में कोई आपत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं करना है।

मैंने विवेचनाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एफ0आर0 तथा साक्षियों के साक्ष्य अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. का अवलोकन किया जो विवेचनाकर्ता ने अंकित किये है तथा जो अभिलेख उपलब्ध है, उनका अवलोकन किया।

पत्र संख्या-सी0बी0-554/92 दिनांक जुलाई 97 जो सी0बी0सी0आई0डी0 कानपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि समस्त अभिलेख सम्बन्धित संस्था को दिनांक 29.5.97 को सुपुर्दगी में दिये जा चुके है। सी.बी.सी.आई.डी. के पास कोई अभिलेख नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कथित संस्था को रजिस्टर का अवलोकन करने के उपरान्त विवेचनाकर्ता ने कोई अनियमितता नहीं पायी।

इन उपरोक्त वर्णित तार्किक विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियोगी को एफ0आर0 की जानकारी है। उसने कोई आपत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया है

(जो विवेचनाकर्ता है) एक राजपत्रित उत्तरदायी कर्मचारी है। इससे यह उपकल्पना करने हेतु विवश हो जाता हूँ कि अभियोगी को एफ०आर० के विरोध में कुछ नहीं कहना है। सी०बी०सी०आई०डी० ने जो कथित प्रकरण की जांच की है, केस डायरी में अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. जिन साक्षियों का साक्ष्य अंकित किया है तथा जो अभिलेख संकलित किये है उसके आधार पर एफ०आर० प्रेषित की है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता नहीं है।

इन परिस्थितियों में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लेने हेतु कोई पर्याप्त आधार नहीं है। एफ०आर० विधि एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से मान्य है।

आदेश

सी०बी० 554/92 मु०अ०सं० 67/92 अन्तर्गत धारा 420, 468, 120बी भा०दं०सं० थाना को० फतेहगढ़ में सी०बी० सी०आई०डी० के विवेचनाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एफ०आर० (अन्तिम आख्या) स्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 15.10.98

(आर०सी० तिवारी) 15/10/98
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फर्रुखाबाद

अध्यक्ष

प्रमाणित प्रतिलिपि
28/10/98
यथार्थ प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय
फर्रुखाबाद

अनेक्जर-तीन

INSPECTION OF VOLUNTARY ORGANISATION WORKING FOR S... AND ... GRANT IN AID FROM THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (20)

Name of Scheme: Scheme of assistance to the Voluntary Organizations ... Classes (Training Programme):

2. Date of Inspection : 31 / 12 / 2004

(i) Time of commencement of inspection 11:30 AM

(ii) Time of completion of Inspection 2:30 PM

3. Composition of the Inspecting Team:

Team Composition	Name	Designation	Agency represented with Address	Signature
1. Team Leader	श्री सुरेश चन्द्र	जिला समाज कल्याण अधिकारी फ़र्रुखाबाद	जिला समाज कल्याण अधिकारी	
2. Member				
3. Member				
4. Member				

4. Name and Complete Address of the organisation: भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयाबादशाहपुर-स्था द्वारा संचालित-प्रधान कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक-जयनरायन वर्मा रोड-फतेहगढ़ फर्रुखाबाद

5. Date of Registration of the organisation : 06 / 01 / 1990

6. Brief Description of the Project.
(Mention the nature of the Course being run with duration of each course and hours of daily training)

(a) Title of the Project : सिलाई, कढ़ाई बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र

(b) Date of commencement of the Project. 01 / 04 / 1990

(c) Year of Commencement of Grant ... from G O I for the Project : वर्ष 1991-92 से 2004-05

(d) Whether the Project is recognised by the state government: Yes / No ✓

जिला समाज कल्याण अधिकारी

(Stamp: भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति ... अध्यक्ष ...)

7. Project Location

(a) Complete Address of location/location where programme/project/scheme is being implemented: प्रधान कार्यालय जयनारायण वर्मा रोड फतेहगढ़ फर्रुखाबाद। नस्ल सुधार प्रशिक्षण केन्द्र नं० - अटपुरा शमसाबाद फर्रु० (1) म०सि०क० प्रशिक्षण केन्द्र - अटपुरा शमसाबाद (2) म०सि०क० प्रशिक्षण केन्द्र मो० कुआँ खेड़ा अजमतगढ़ (3) म०सि०क० प्रशिक्षण केन्द्र - नौलखा (4) म०सि०क० प्रशिक्षण केन्द्र - जमापुर खां (5) म०सि०क० प्रशिक्षण केन्द्र - [illegible]

(b) Distance from the nearest organization running Operating similar project: Nil

(c) Name and Location of nearest Govt. Institution /NGO providing similar services location of such (nearest) project: ----------

8. Whether building is on RENT or OWNED: RENTED ✓ | OWNED

9. If on rent indicate the name and full particulars of owner as well as the rent paid per annum.

स्वा० - श्री कैलाश विहारी - प्रधान कार्यालय जयनारायण वर्मा रोड, जिला शाखा कार्यालय

10. Is the building space adequate enough to run the project: Yes ✓ | No

(a) Indicate the number of rooms their size and usage of each

(b) Whether the fixtures/fitments e.g. electrical fittings are in working order: Yes ✓ | No

11. Whether separate project-wise accounts have been maintained for grants sanctioned earlier: Yes ✓ | No

12. Whether principle of joint operation of banks accounts is being followed?: Yes | No ✓

13. (a) What are the principal sources of funds of the Organisation

	Name of the Source		Amount
(i)	Govt. - Name of the Ministry/Department	कल्याण मन्त्रालय/सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार	1,85,000/-
(ii)	Non-Govt. ✓	वर्ष 1991 से 31 मार्च 2004 तक की आय व्यय का आकलन चार्टर्ड एकाउन्ट द्वारा सत्यापित रिपोर्ट संलग्न है।	
(iii)	Foreign	NIL	
(iv)	Mobilized from community	NIL	

जिला समाज कल्याण अधिकारी
फर्रुखाबाद

(Stamp: भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति — अध्यक्ष)

(b) Comment on the Organisation's capacity for additional resource mobilisation:

14. Whether the Organization is charging user fee/fees: Yes [ ] No ✓

15. If YES then the details indicating :

(i). the monthly charges ____________
(ii) annual charges ____________
(iii) charges structured on income gradation basis (if any) ____________
(iv) Whether the user charges collected are reflected in the accounts of the NGO Yes [ ] No [ ]

16. The following checks may be made:

(i) check the entries made on the grants received from the ministry.
(ii) check whether the same has been deposited in their Bank accounts ✓
(iii) check the Bank passbook entries to corroborate on entries made as at sl.No (i) ✓
(iv) check on the pay bill register ✓
(v) enquire with those on payroll on disbursement of pay and amount received. ✓
(vi) Whether subsidiary accounts of the government grant is maintained as required by GFR 150(5) ✓

17. The Number of Trainees/Beneficiaries

	SC		OBC	
	M	F	M	F
(i) Number of beneficiaries as per Project sanction	00	35	-	-
(ii) Number found present at the time of Inspection *	00	29		

* Against serial No. (ii) of table above, if no. of beneficiaries were found to be lesser than that was sanctioned give reasons thereof:

(May also cross-check with other trainees on names /number of absentee trainees)

(i) Working Hours of the center, give shift-wise break-up:-	

जिला समाज कल्याण अधिकारी

अध्यक्ष

(b) Comment on the Organisation's capacity for additional resource mobilisation: NT

---

14. Whether the Organization is charging user fee/fees: Yes / No ✓

15. If YES then the details indicating :

(i). the monthly charges ______
(ii) annual charges ______
(iii) charges structured on income gradation basis (if any) ______
(iv) Whether the user charges collected are reflected in the accounts of the NGO Yes / No

16. The following checks may be made:

(i) check the entries made on the grants received from the ministry ✓
(ii) check whether the same has been deposited in their Bank accounts ✓
(iii) check the Bank passbook entries to corroborate on entries made as at sl.No (i) ✓
(iv) check on the pay bill register ✓
(v) enquire with those on payroll on disbursement of pay and amount received. ✓
(vi) Whether subsidiary accounts of the government grant is maintained as required by GFR 150(5) ✓

17. The Number of Trainees/Beneficiaries

	SC		OBC	
	M	F	M	F
(i) Number of beneficiaries as per Project sanction	00	35	-	-
(ii) Number found present at the time of Inspection : *	00	29		

* Against serial No. (ii) of table above, if no. of beneficiaries were found to be lesser than that was sanctioned give reasons thereof:

(May also cross-check with other trainees on names /number of absentee trainees)

(i) Working Hours of the center, give shift-wise break-up:- 10 से 4 बजे तक

जिला समाज कल्याण अधिकारी
फर्रुखाबाद

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग ... अध्यक्ष

Project Locatio...

(a) Complete Address of location/location where programme/project/scheme is being implemented: प्रधान कार्यालय जयनारायण वर्मा रोड फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, जनता सुधार प्रशिक्षण केन्द्र मो०-अटपुरा शमशाबाद फर्रु०
(1) म०सि०क० प्रशिक्षण केन्द्र मो० अटपुरा शमशाबाद (2) म०सि०क० प्रशिक्षण केन्द्र मो० ऊँचा खेड़ा अजमतपुर (3) म०सि०क० प्रशिक्षण केन्द्र नौरंगपुर (4) म०सि०क० प्रशिक्षण केन्द्र [illegible] (5) म०सि०क० प्रशिक्षण केन्द्र [illegible]

(b) Distance from the nearest organization running/Operating similar project: NIL

(c) Name and Location of nearest Govt. Institution /NGO providing similar services location of such (nearest) project: ____________

8. Whether building is on RENT or OWNED: RENTED ✓ | OWNED

9. If on rent indicate the name and full particulars of owner as well as the rent paid per annum.

स्वर्गीय श्री कैलाश बिहारी- प्रधान कार्यालय जय-नारायण वर्मा रोड, जिला शाखा कार्यालय

10. Is the building space adequate enough to run the project: Yes ✓ | No

(a) Indicate the number of rooms their size and usage of each

(b) Whether the fixtures/fitments e.g. electrical fittings are in working order: Yes ✓ | No

11. Whether separate project-wise accounts have been maintained for grants sanctioned earlier? Yes ✓ | No

12. Whether principle of joint operation of banks accounts is being followed? Yes | No ✓

13. (a) What are the principal sources of funds of the Organisation

	Name of the Source	Amount
(i)	Govt. - Name of the Ministry/Department: कल्याण मन्त्रालय/सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार	1,85,000/-
(ii)	Non-Govt. ✓	
(iii)	Foreign NIL	
(iv)	Mobilized from community NIL	

वर्ष 1997 से 31 मार्च 2005 तक की आय व्यय का आकलन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित रिपोर्ट संलग्न है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
फर्रुखाबाद

(Stamp: भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास ... अध्यक्ष)

21. Whether Practical Note Books/Work Books are maintained by the Trainees : Yes ✓ No

22. Whether the skills imparted have the potential for gainful self employment or placement? :

23. Total No. of Beneficiaries successfully trained and have left the Center during the last three years :

Out of the above :-

(i) Those who got employed/ placements : No

(ii) Those who are self-employed : 50

24. Whether Trainees have been interviewed (If "Yes" summary of finding be attached as Annexure) : Yes ✓ No

25. *Whether Composition of Managing Committee* enclosed: Yes ✓ No

Date of last election of the Managing Committee : 30/4/2004

26. The Qualification held by the teachers /instructors to be attached as - *Annexure* संलग्न है।

27. Maintenance of record:

Whether the following records are maintained:-

	Whether maintained in prescribed form		Whether the records are up-to-date	
(a) Cash Book	Yes ✓	No	Yes ✓	No
(b) Ledger	Yes ✓	No	Yes ✓	No
(c) Register of Assets	Yes ✓	No	Yes ✓	No
(d) Register for consumable items	Yes ✓	No	Yes ✓	No
(e) Honorarium Payment Register	Yes ✓	No	Yes ✓	No
(f) Attendance register for trainees	Yes ✓	No	Yes ✓	No
(g) Year wise record of minutes of General Body Meeting	Yes ✓	No	Yes ✓	No

जिला समाज कल्याण अधिकारी

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग ... अध्यक्ष/मंत्री

कार्यालय परगनाधिकारी रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग बिकास समिति, जो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से सम्बंधित है, सर्व श्री चन्द्रपाल, अखिलेश कुमार जिन्होंने अपने को क्रमशः प्रबंधक, उप प्रबंधक बताया है, ने मुझसे आज दिनांक 7-2-92 को सम्पर्क किया और संस्था से सम्बंधित योजनाओं के विषय में बिचार बिमर्श किया।

(डी०एस०सिंह)
परगना मजिस्ट्रेट रसूलाबाद
कानपुर देहात
(7-2-92)

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति
अध्यक्ष

उ0 प्र0 सरकार द्वारा (रजि0)
स्थापित वर्ष दिनांक 06-01-1990 (1989-90)
पंजीयन सं. - 1427
कार्यक्षेत्र - उ0प्र0 एवं भारत वर्ष
मो0 7060247221, 8979543081

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति

लोयाबादशाहपुर, पोस्ट - खास, जनपद-एटा द्वारा संचालित
प्रधान - कार्यालय
उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति विकास संस्थान
बाबूजी मार्केट, ॥ वैष्णव धाम के सामने ॥ एटा चुंगी, जी.टी. रोड, अलीगढ़

अध्यक्ष - आर0 बी0 वर्मा

पत्रांक 597 दिनांक 23/2/017

सेवा में,

श्री माननीय थावरचन्द गेहलोत
केन्द्रीय मन्त्री महोदय जी
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली

विषय - अनुसूचित जातियां के कल्याण हेतु फाइल संख्या - 11020/55 /2008 -एस0सी0 डी0 III के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्था को आर्थिक सहायता अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन समाज कल्याण अनुभाग 2 के पत्रांक 2635/26-2-2004 दिनांक 09-10-2004 के द्वारा निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 से संस्था के सम्बन्ध में आख्या /संस्तुति चाही गयी थी, तत् क्रम में निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 के पत्रांक 338 /स0क0 /अनु0 /2004-05 दिनांक 29-10-2004 एवं भारत सरकार के पत्रांक 17020/12-91 -आर0सेल /एस0सी0डी0 III दिनांक 01-10-91 के परिपालन में मुख्य विकास अधिकारी फरूखाबाद द्वारा निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 को जिला समाज कल्याण अधिकारी फरूखाबाद की संस्था के क्रिया-कलापों सम्बन्धी जांच आख्या भेजते हुए वर्ष 1991 -92 से वर्ष 2004 05 तक के सतत्तीकरण /केन्द्रीय अनुदान स्वीकृति हेतु संस्तुति की गयी थी जो उ0प्र0 शासन के पत्रांक 60एम0/26-2-2007-1 (38) /98 दिनांक 28-06-2007 द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी। तदुपरान्त श्री एल0मरान्डी अनु सचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11020/55/2008 -एस0सी0डी0 III दिनांक 23-06-2008 द्वारा प्रमुख सचिव समाज कल्याण उ0प्र0 शासन के मध्य डिस्पलनरी ग्रान्ट इन एड कमेटी राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव संस्तुति कराने हेतु प्रेषित किया गया। विशेष सचिव उ0प्र0 शासन समाज कल्याण अनुभाग -2 के सं0 3320/26-2-8-100 (73) /2000 टी0सी0 -1 दिनांक 26-12-2008 द्वारा ग्रान्ट इन एड कमेटी की बैठक दिनांक 18-12-2008 में समिति की संस्तुति सहित कार्यवाही संयुक्त सचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित की गयी। जिसके संलग्नक पृष्ठ 3 के भाग बी पर भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति के लिए की गयी समिति की संस्तुति प्रदर्शित है। पुनः उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1677 /26-2-2010 दिनांक 26-05-2010 द्वारा संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हमारी संस्था के प्रस्तावित कार्यक्रमों हेतु ग्रान्ट इन एड कमेटी द्वारा संस्तुति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराये जाने के पश्चात् दिनांक 09 एवं 10 जुलाई , 2010 को सम्पन्न मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में संस्था को अनुदानित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किन्तु प्रस्तुतकर्ता द्वारा संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 06-01-2010 तक वैद्य होने के सम्बन्ध में टिप्पणी की गयी, जबकि प्रश्नगत पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 06-01-2010 से आगामी पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था जो दिनांक 06-01-2015 तक वैद्य था।

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति
अध्यक्ष
लोयाबादशाहपुर, जनपद एटा (उ0प्र0)

श्री एम०ए० मुरलीधरन उपसचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
नई दिल्ली के अधोहस्ताक्षरकर्ता को सम्बोधित दिनांक 08-08-2013 द्वारा अवगत कराया गया कि
पंजीयन प्रमाण पत्र की वैध्यता दिनांक 06-01-2010 को समाप्त हो चुकी है तथा संस्था की निरीक्षण
आख्या 5 वर्ष तक के लिए मान्य होने की जानकारी दी है। यहां उल्लेखनीय है कि संस्था का पंजीयन
प्रमाण पत्र तथा संस्था की निरीक्षण आख्या दोनों ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में रखने के समय तक
वैद्य /विधिमान्य थी। इस प्रकार जानबूझकर संस्था का प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करते
समय प्रस्तुतकर्ता द्वारा अविवेक पूर्ण टिप्पणी किये जाने के फलस्वरूप संस्था एवं अन्ततः अनुसूचित
जातियों के हितों पर कुठाराघात हो गया।

चूँकि पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निरीक्षण आख्या वैद्य थे, इसलिए मेरे अनुरोध पर दिनांक
26 एवं 27 सितम्बर, 2013 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मेरी संस्था को अनुदानित किये जाने
हेतु प्रस्ताव किया गया। राज्य ग्रान्ट इन एड कमेटी की संस्तुति के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी के
द्वारा संस्था को अनुदानित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी क्रम में उपसचिव उ०प्र०
शासन समाज कल्याण अनुभाग 2 के संख्या 258/26-02-2015 दिनांक 25 फरवरी, 2015 द्वारा
उपसचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली को निदेशक
समाज कल्याण उ०प्र० द्वारा वर्ष 2004-05 में प्रेषित निरीक्षण आख्या को यथावत मानते हुए की
गयी संस्तुति एवं अद्यतन नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र आदि की प्रतियां आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित की गयी। लम्बित मामले में अनुदान अवमुक्त करने हेतु मेरे अनुरोध पत्र को माननीय मंत्री
जी के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त सचिव (अनुसूचित जाति विकास) भारत सरकार
को भेजे जाने की जानकारी पत्र दिनांक 14-09-2016 अनेग्जर -14 द्वारा दी गयी।

दिनांक 06-12-2016 को श्री मनोज झा अनुसचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली से सम्पर्क करने पर उन्होंने शीघ्र सहायता राशि अवमुक्त
कराये जाने हेतु आश्वस्त किया गया। दिनांक 21-12-2016 को पुनः सम्पर्क के दौरान श्री मनोज झा
द्वारा प्रस्ताव ऑन लाइन भिजवाने हेतु कहा गया, जबकि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दि० 26, 27
सितम्बर, 2013 को स्वीकृत चार संस्थाओं के प्रस्तावों में से 3 पर अनुदान अवमुक्त किया जा
चुका है। किन्तु प्रार्थी अनुसूचित जाति का होने के नाते उसके मामले को विलम्बित किया जा रहा
है। दिनांक 22-12-2016 को अनुदान अवमुक्त किये जाने हेतु माननीय मंत्री महोदय एवं सचिव भारत
सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली को पुनः अनुरोध किया गया। उपरोक्त
स्थिति के क्रम में क्रमवार अनेग्जर -1 से 15 कुल पृष्ठ-29 संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि मेरी संस्था को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति के अनुरूप अनुदान
अवमुक्त करने हेतु प्रभावी निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें। संस्था अनुसूचित जातियों के कल्याण
हेतु दृढ़ संकल्पित है।

भवतु सब्ब मंगलम्।

संलग्नक- यथो -29

भवदीय

(आर०बी० वर्मा)

अध्यक्ष

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति

अध्यक्ष

(64)

[illegible] अधिकारी	प्रेषक, [illegible] अधिकारी, फर्रुखाबाद।
[illegible]	[illegible]
निरीक्षण [illegible]	भारतीय ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, [illegible] फर्रुखाबाद।
[illegible] संस्था [illegible]	[illegible] से पंजीकृत है।
पंजीकरण पत्र संख्या	1427/1989-90 है तथा 6-1-1995 से 5 वर्ष के लिये नवीनीकरण [illegible] तथा 6-1-[illegible] से 5 वर्ष की अवधि का नवीनीकरण है।

समिति द्वारा मुख्यालय/[illegible] शाखा कार्यालय के माध्यम से संस्था द्वारा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र संचालित कर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना मुख्य कार्य है। इसके अलावा आवासीय विद्यालय, कम्प्यूटर आदि योजनायें संचालित करने का एक मात्र उद्देश्य है।

योजनायें:-
1-महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, मो० [illegible], फर्रुखाबाद।
2-महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र नीलगंज, फर्रुखाबाद
3-महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, धन्नुआ, [illegible] एवं भोलेपुर।
4-महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र [illegible]-[illegible]
5-महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र अमृतपुर, [illegible]-कायमगंज।

संचालित हैं।
1-आवासीय विद्यालय [illegible] कायमगंज, फर्रुखाबाद की [illegible] [illegible]
2-कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, फर्रुखाबाद की [illegible] में प्रस्तावित है।

जाँच के समय अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में जिला समाज कल्याण अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/[illegible] की संस्तुति पूर्व में भी भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को प्रेषित की गई है आवासीय विद्यालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण का भी प्रस्ताव मंत्रालय में प्रेषित है अपनी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रेषित पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न हैं। सम्बन्धित संस्थाओं [illegible] आख्या उपनिदेशक, समाज कल्याण कानपुर मण्डल, कानपुर ने भी की थी वर्तमान समय में मुख्यालय पर [illegible] पद कार्यरत है तथा जिला शाखा कार्यालय पर [illegible] पद कार्यरत हैं इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र/[illegible] क्षेत्रों में योजनायें संचालित की जाती हैं तथा इनके यहां देखभाल करी भी जाती है समिति का उद्देश्य अनुसूचित/जनजाति जाति/पिछड़ी जाती के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों का विकास करने का उद्देश्य है। संस्था [illegible] से संचालित की जा रही है तथा भविष्य में संस्था [illegible] के संचालित की [illegible] धन उपलब्ध कराने की संस्तुति की जाती है।

[illegible]

अध्यक्ष

(65)

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति
फतेहगढ़, फर्रूखाबाद की निरीक्षण जांच अख्या।

निरीक्षणकर्ता अधिकारी -सुरेश चन्द्र
मुख्य विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद

निरीक्षण तिथि - 2-8-2002

निरीक्षण संस्था का नामः- भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फतेहगढ़-फर्रूखाबाद।

रजिस्टर्ड संस्था वर्ष 1989-90 से रजिस्टर्ड है।

रजि0प्रामाण पत्र संख्या 1427/1989-90 है तथा 6-1-1995 को 5 वर्ष के लिये नवीनीकरण कराया था तथा 5-1-2000 के 5 वर्ष की अवधि व नवीनीकरण है।

समिति द्वारा मुख्यालय/जिला शाखा कार्यालय के माध्यम से संस्था द्वारा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र संचालित कर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना मुख्य कार्य है। इसके अलावा आवासीय विद्यालय,कम्प्यूटर आदि योजनाएं संचालित करने का एक मात्र उद्देश्य है।

योजनाएं:-
1- महिला सिलाई,कढ़ाई,बुनाई, प्रशिक्षण केन्द्र मौ0जंगबाज खां फर्रूखाबाद।
2- महिला सिलाई,कढ़ाई,बुनाई, प्रशिक्षण केन्द्र नौलखा फर्रूखाबाद।
3- महिला सिलाई,कढ़ाई,बुनाई, प्रशिक्षण केन्द्र धन्तुआ नगला मैन एवं भोलेपुर।
4- महिला सिलाई,कढ़ाई,बुनाई, प्रशिक्षण केन्द्र जटपुरा-शमशाबाद
5- महिला सिलाई,कढ़ाई,बुनाई, प्रशिक्षण केन्द्र अजमतपुर कुआखेड़ा कायमगंज।

संचालित है।

1- आवासीय विद्यालय विकास एण्ड कायमगंज फर्रूखाबाद की परिधि में सचांलित करने का प्रस्ताव है।

2- कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, फर्रूखाबाद की परिधि में प्रस्तावित है।

जांच के समय अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में जिला समाज कल्याण अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी उ.प्र. शासन की संस्तुति पूर्व में भी भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली को प्रेषित करा गई है आवासीय विद्यालय,कम्प्यूटर प्रशिक्षण का भी प्रस्ताव मन्त्रालय में प्रेषित है अभी संम्बन्धित अधिकारियो द्वारा प्रेषित पत्रों की छायाप्रतिया संलग्न है। सम्बन्धित संस्था की जांच अख्या उपनिदेशक समाज कल्याण कानपुर मण्डल, कानपुर ने भी की थी वर्तमान समय में मुख्यालय पर 60 पद कार्यरत है। तथा जिला शाखा कार्यालय पर 46 पद कार्यरत है इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में योजना संचालित की जाती है। तथा इनके यहां देखभाल भी की जाती है। समिति का उद्देश्य अनुसूचित/जनजाति/पिछड़ी जाति के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारो का विकास करने का उद्देश्य है। संस्था सुचारूप से संचालित कराने के लिये नियमानुसार धन उपल्बध कराने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय
सुरेशचन्द्र
।। मुख्य विकास अधिकारी ।।
फर्रूखाबाद।

(हस्ताक्षर अस्पष्ट)
3546

आर. बी. वर्मा
अध्यक्ष
भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति

ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति
अध्यक्ष